आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ित सिविलियन व्यक्तियों/पीड़ितों के परिवारों को सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना के संशोधित दिशानिर्देश

1. **योजना का नाम**

इस योजना को 'आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ितों/सिविलियन व्यक्तियों की सहायता हेतु केन्द्रीय योजना' कहा जाएगा।

2. **प्रस्तावना और उद्देश्य**

इस योजना का वृहद उद्देश्य "उग्रवाद, विद्रोह, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा सहित आतंकवादी हिंसा के पीड़ित सिविलियन व्यक्तियों" की सहायता करना है।

3. **परिभाषाएं**

(क) **आतंकवाद** : इस योजना के प्रयोजनों के लिए आतंकवाद शब्द में उग्रवाद और विद्रोह से संबंधित हिंसा शामिल है तथा इसका संदर्भ यू.ए.पी.ए., 1967 (वर्ष 2004 में यथा संशोधित) की धारा 15 में यथा परिभाषित कृत्यों से है।

(ख) **साम्प्रदायिक हिंसा** का तात्पर्य एक समुदाय के सदस्यों द्वारा किसी दूसरे समुदाय के सदस्यों के प्रति की जाने वाली हिंसा के ऐसे सुनियोजित और संगठित कृत्यों से है जिनका उद्देश्य दुर्भावना और घृणा पैदा करना अथवा व्यक्त करना तथा लोगों की जान लेना अथवा उन्हें चोट पहुंचाना हो।

(ग) **नक्सली हिंसा** का तात्पर्य सी.पी.आई. (माओवादी), इसके सभी गुटों और प्रमुख संगठनों, जिन्हें विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 22.6.2009 से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है तथा जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, के सदस्यों द्वारा की जाने वाली हिंसा के सुनियोजित और संगठित कृत्यों से है।

(घ) **स्थायी अशक्तता** : इसका तात्पर्य पीड़ित द्वारा भोगी जाने वाली 50% और उससे अधिक स्थायी प्रकृति की अशक्तता से है और जिसमें अशक्तता की डिग्री में कोई अन्तर न आने की संभावना हो तथा चोट/अशक्तता के कारण पीड़ित अपना शेष जीवन सामान्य रूप से जीने के लिए अयोग्य हो जाए।

(ङ) **निकटतम संबंधी** वह व्यक्ति होगा जिसे जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाए।

आतंकवादी और साम्प्रदायिक हिंसा के सिविलियन पीड़ितों की सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है और नक्सली हिंसा के मामलों के संबंध में यह 22 जून, 2009 से प्रभावी है।

4. <u>पात्रता</u>

i) परिवार के सदस्य (सदस्यों) को वित्तीय सहायता उस स्थिति में दी जाएगी जब पीड़ित की आतंकवादी, साम्प्रदायिक अथवा नक्सली हिंसा में मृत्यु हुई हो अथवा वह स्थायी रूप से अशक्त हो गया हो।

ii) प्रति अथवा पत्नी, जैसा भी मामला हो, की मृत्यु होने/स्थायी रूप से अशक्त होने की स्थिति में सहायता उसके जीवित जीवन साथी को दी जाएगी। तथापि, यदि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हिंसा की एक ही घटना में हुई हो तो परिवार प्रत्येक मामले में सहायता प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।

iii) इस योजना के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों के परिवार ऐसी स्थिति में भी सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे जब उन्हें सरकार से अथवा अन्य किसी स्रोत से अनुग्रह राशि अथवा अन्य किसी प्रकार की राहत के भुगतान के रूप में कोई अन्य सहायता प्राप्त हुई हो, सिवाय उस स्थिति के जब इसी प्रकार की योजना केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही कार्यान्वित की जा रही हो।

iv) राज्य सरकारों/राज्य पी.एस.ई. तथा राज्य सरकारों के इसी प्रकार के संगठनों सहित केन्द्र सरकार, सी.पी.एस.ई., स्वायत्तशासी संस्थाओं और केन्द्र सरकार के अन्य संगठनों के कर्मचारियों के निकट संबधी, आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा की

घटनाओं के कारण मौत/स्थायी अशक्तता (50% और उससे अधिक) के मामले में 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

v) एस.आर.ई. राज्यों/जिलों के लिए कुल मुआवजे की राशि 4 लाख रुपये होगी (सुरक्षा संबंधी व्यय से 1 लाख रुपये और केन्द्रीय योजना से 3 लाख रुपये)। अन्य क्षेत्रों में यह सहायता 3 लाख रुपये तक सीमित होगी।

vi) विदेशी नागरिक और एन.आर.आई. भी 1.4.2008 से अर्थात् इस योजना के प्रभावी बनाए जाने की तारीख से इस योजना के अंतर्गत पात्र/शामिल होंगे।

vii) आतंकवादी, साम्प्रदायिक अथवा नक्सली हिंसा में स्थायी रूप से अशक्त हुए व्यक्तियों, मारे गए पीड़ितों/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन कार्यरत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वास्थ्य पत्र (हैल्थ कार्ड) प्रदान किया जाएगा। यह कार्ड उन्हें हिंसा के कारण लगने वाली चोटों तथा सभी अन्य बड़ी बीमारियों के संबंध में नि:शुल्क चिकित्सा उपचार का हक प्रदान करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की चालू योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय आरोग्य निधि तथा दि नेशनल ट्रॉमा केयर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी योजना के लाभार्थियों को विशेष मामले के रूप में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

viii) गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान (एन.एफ.सी.एच.) द्वारा कार्यान्वित परियोजना 'असिस्ट' के तहत अनुज्ञेय सहायता के लिए परिवार के बच्चों की हकदारी बनी रहेगी।

ix) इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए परिवार की आय के संबंध में किसी अन्य मानदंड पर विचार नहीं किया जाएगा।

x) हिंसा करने वाले अथवा उनके परिवार इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की सहायता के हकदार नहीं होंगे।

xi) पात्र दावेदार, आतंकवादी, साम्प्रदायिक अथवा नक्सली हिंसा की सम्बद्ध घटना के 3 वर्षों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में (अनुलग्नक-I) अपने दावे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि, पात्र मामलों में

राज्य सरकार की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्वयं इस समय सीमा में छूट दी जा सकती है।

5. **सहायता**

(i) इस योजना के तहत प्रभावित परिवार को मृत्यु अथवा स्थायी अशक्तता के प्रत्येक मामले में 3 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

(ii) 3 लाख रुपये की धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में [परिवार के सदस्य (सदस्यों) के नाम में संयुक्त अथवा एकल रूप से] डाला जाएगा। (यदि लाभार्थी के नजदीक कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता खोला जा सकता है)। इसकी परिबंधन (लॉक-इन) अवधि न्यूनतम 3 वर्ष तक अथवा यदि परिवार में केवल अवयस्क बच्चे हों तो सबसे बड़े बच्चे के वयस्क हो जाने तक, जो भी बाद में हो, होगी।

(iii) उपर्युक्त राशि पर ब्याज बैंक द्वारा सीधे ही तिमाही आधार पर लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा।

(iv) यदि लाभार्थी पीड़ित व्यक्ति की पत्नी/पति हो तो परिबंधन अवधि के समाप्त हो जाने पर 3 लाख रुपये की मूल धनराशि लाभार्थी के बचत खाते में सीधे ही अन्तरित कर दी जाएगी।

(v) लार्भाथी की मृत्यु अथवा उसके स्थायी रूप से अशक्त हो जाने के मामले में, उसका निकटतम संबंधी खाते का संचालन करेगा।

(vi) स्थायी रूप से अशक्त हो जाने के मामले में, पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही लाभार्थी होगा। तथापि, यदि वह खाते का संचालन करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति खाते का संचालन करेगा।

6. **जिला स्तर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/कलैक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित होगी जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज कल्याण

अधिकारी, जिला बाल एवं महिला विकास अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नामित एक अधिकारी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। यह समिति लाभार्थियों की पहचान करेगी तथा इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए उनकी पात्रता का सत्यापन करेगी।

(ii) पात्रता संबंधी दावों की जांच करते समय जिला समिति पुलिस रिपोर्ट/एफ आई आर, मृत्यु के मामले में मृत्यु-सह-शव परीक्षा प्रमाण-पत्र, स्थायी अशक्तता के मामले में चिकित्सा प्रमाण-पत्र, दावाकर्ता के जन्म प्रमाण-पत्र (यदि वह अवयस्क है), और वैध दावाकर्ता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किन्हीं अन्य दस्तावेजों की जांच करेगी।

(iii) स्थायी अशक्तता के मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा कि पीड़ित की अशक्तता 50% और उससे अधिक है, जो कि स्थायी प्रकृति की है और अशक्तता के स्तर में परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है और इस चोट के कारण पीड़ित जीवनपर्यन्त सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा।

(iv) परिवार में लाभार्थी का चुनाव करने में निकटतम संबंधी की अवधारणा लागू की जाएगी।

(v) जिला समिति इस बात से अपनी संतुष्टि करेगी कि पीड़ित को यह क्षति/उसकी मौत आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा, जैसा भी मामला हो, के कारण हुई है और लाभार्थी की पहचान योजना के अनुसार ही की गई है। वह यह भी सत्यापित करेगी कि पीड़ित को यह क्षति/उसकी मौत किसी अपराध संबंधी घटना अथवा प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है।

(vi) जिला समिति, जहां तक संभव हो, आतंकवादी अथवा साम्प्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्ति/परिवार के लिए सहायता संबंधी दावों की प्राप्ति होने के 15 दिन के भीतर अपनी सिफारिश (अनुलग्नक-II) में देगी।

(vii) जिला कलैक्टर स्वयं समुचित औचित्य देते हुए योजना के अंतर्गत सहायता संबंधी सिफारिश कर सकते हैं।

(viii) योजना के उपबंधों के अनुसार आवेदन पर कार्रवाई, जिला समिति की सिफारिशों सहित, 3 सप्ताह के अन्दर पूरी की जाएगी।

(ix) स्वीकृति आदेश राज्य सरकार की ओर से जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा जारी किया जाएगा। वर्तमान में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जा रहे नमूना स्वीकृति आदेश की प्रति अनुलग्नक-।।। पर दी गई है। स्वीकृति पत्र की एक प्रति राज्य के गृह विभाग को भेजी जाएगी। स्वीकृति आदेश की एक प्रति आन्तरिक सुरक्षा-।। प्रभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को पृष्ठांकित की जाएगी।

(x) जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त लाभार्थी के नाम पर चैक जारी करेगा। जब कभी व्यवहार्य होगा, सहायता पीड़ित/निकटतम संबंधी के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिक अंतरण के माध्यम से संवितरित की जाएगी।

(xi) राज्य सरकारें इस योजना के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करेंगी।

7. **<u>चैक जारी होने के पश्चात अपनाई जाने वाली प्रक्रिया</u>**

i) जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, चैक को लाभार्थी के सावधि जमा खाते में जमा करेंगे और बैंक को उसकी समय से पूर्व निकासी की अनुमति न प्रदान करने का अनुदेश देंगे।

ii) बैंक को स्थायी अनुदेश दिए जाएंगे कि वह लॉक-इन अवधि के दौरान तिमाही ब्याज और लॉक-इन अवधि के बाद मूल राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करें।

8. **<u>गृह मंत्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया</u>**

i) इस योजना के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के पीड़ितों के निकटतम संबंधियों को भुगतान कर दिए जाने के बाद राज्य सरकार निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-।V) में प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को छमाही आधार पर (प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर और 30 जून तक) प्रस्तुत कर सकती है।

ii) प्रतिपूर्ति पर विचार, इस बारे में लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर किया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखों की लेखापरीक्षा में विलंब के कारण राज्य को कोई नुकसान न हो, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत लेखों, जिनकी आई एफ डी, गृह मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से संवीक्षा की गई हो, के आधार पर तदर्थ निर्मुक्तियां की जाएंगी। अंतिम रूप से लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध होने के बाद इन तदर्थ भुगतानों को समायोजित किया जाएगा। केन्द्र सरकार 70%राशि का भुगतान तत्काल करेगी तथा शेष 30% राशि का भुगतान गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग से लेखापरीक्षा सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

iii) राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि 'आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के सिविलियन पीड़ितों को केन्द्रीय सहायता योजना' के अंतर्गत दावा की गई राशि का भारत सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत दावा न किया जाए अर्थात् दो बार दावा नहीं किया जाएगा। राज्य इस आशय का एक वचन/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि इन मदों के लिए किसी अन्य योजना के अन्तर्गत दावा नहीं किया गया है।

iv) संशोधित दिशानिर्देश वित्त वर्ष 2012-13 से लागू होंगे।

v) अप्रैल, 2012 के बाद घटित घटनाओं से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में समस्त व्यय राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा (जिसकी प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय द्वारा की जाएगी। अप्रैल, 2012 से पूर्व घटित घटनाओं से संबंधित प्रस्तावों, जो राज्य सरकारों द्वारा अभी तक गृह मंत्रालय को नहीं भेजे गए हैं, पर भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाएगा ताकि गृह मंत्रालय उनका अनुमोदन और प्रतिपूर्ति कर सके। गृह मंत्रालय को भेजे गए किंतु राज्य सरकार से पूर्ण दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण लंबित प्रस्तावों पर भी राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ताकि गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें अनुमोदित किया जा सके और तत्पश्चात प्रतिपूर्ति की जा सके।

9. **<u>व्यावृति खंड</u>**

यदि योजना के कार्यान्वयन में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित हो/कोई कठिनाई हो तो, गृह मंत्रालय के आन्तरिक सुरक्षा-।। प्रभाग द्वारा उपयुक्त आदेश/स्पष्टीकरण जारी किए जाएंगे

अनुलग्नक-I

साम्प्रदायिक/आतंकवादी/नक्सली हिंसा के पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन प्रपत्र

भाग-क

(साफ अक्षरों में भरें)

क. पीड़ित का विवरण

1. नाम :
2. आयु :
3. लिंग :
4. व्यवसाय :
5. पिता/पति का नाम :
6. माता का नाम :
7. पता :
8. पहचान का प्रमाण-पत्र
9. पीड़ित पर हिंसा का प्रभाव : मृत्यु/स्थायी अशक्तता
   (कृपया टिक करें) (50% और उससे अधिक)
10. 50% और उससे अधिक :
    अशक्तता की स्थिति में
    (क) अशक्तता का प्रतिशत

ख. पीड़ित के परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम	लिंग	आयु	पिता/पति का नाम	पीड़ित से संबंध

ग. **<u>लाभार्थी का विवरण</u>**

1. नाम :
2. आयु (जन्म तिथि) :
3. लिंग :
4. लाभार्थी का व्यवसाय :
   यदि पीड़ित पर आश्रित है
5. पिता/पति का नाम :
6. माता का नाम :
7. पहचान का प्रमाण :
8. आतंकवादी तथा साम्प्रदायिक
   हिंसा के पीड़ित से संबंध :

घ. **<u>घटना का विवरण</u>**

1. स्थान :
2. तारीख :
3. समय :
4. घटना के विवरण :
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट और
   दिनांक :
6. पुलिस थाना क्षेत्र :

ङ. **घोषणा** : मैं घोषणा करता हूँ कि मैं सहायता को परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए खर्च करूंगा और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो यह सहायता किसी भी समय बिना नोटिस दिए मुझसे वापस ले ली जाए।

(लाभार्थी के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-II

प्रमाणित किया जाता है कि .....(पीड़ित का नाम) आयु ..... वर्ष, पुरुष/महिला, निवासी ..... पुत्र/पत्नी श्री ..... दिनांक ..... को ..... बजे ..... (घटना-स्थल का नाम)

में घटी (साम्प्रदायिक/आतंकवादी/उग्रवादी हिंसा/विद्रोह की/नक्सली) घटना में मारे जा चुके हैं/स्थायी तौर पर अशक्त (50% से अधिक) हो चुके हैं। श्री/श्रीमती/कुमारी ....(लाभार्थी का नाम), आयु ..... पुरुष/महिला, जो रिश्ते में पीड़ित के ..... हैं, को आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने संबंधी केन्द्रीय योजना से 3 लाख रुपये का मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र पाया गया है। उनका नाम जिला समिति द्वारा संस्तुत किया गया है। उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को साम्प्रदायिक, आतंकवादी और नक्सली हिंसा में मृत्यु के कारण अभी तक अनुकम्पा आधार पर कोई स्थायी सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। प्रमाणित किया जाता है कि पीड़ित की इस क्षति का कारण कोई आपराधिक घटना या प्राकृतिक कारक नहीं है।

दावाकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं :

1. पुलिस/प्रथम सूचना रिपोर्ट ।
2. मृत्यु-सह-पोस्टमार्टम प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।
3. चिकित्सा प्रमाण-पत्र (50% या इससे अधिक अशक्त होने के मामले में)।
4. कोई प्रमाण-पत्र जिसमें लाभार्थी का पीड़ित के साथ रिश्ता दर्शाया गया हो (यदि पीड़ित स्वयं दावाकर्ता हो तो आवश्यक नहीं)।
5. जन्म-तिथि प्रमाण-पत्र (यदि लाभार्थी अवयस्क हो)।
6. जिला समिति की संस्तुति (सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ)।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....(लाभार्थी का नाम) के नाम से .....(बैंक का नाम) में ..... अवधि के लिए सावधि जमा खाता खोला जाएगा।

दिनांक :

स्थान:

(जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त अथवा
उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-III

गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के प्रारूप का नमूना

(इसे राज्य सरकार द्वारा अपने अनुरूप बनाया जा सकता है)

फा.सं. 11037/2/11-वी टी वी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-II
दूसरा तल, एन डी सी सी-II भवन,
जय सिंह रोड,
जंतर मंतर के पास
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 2012

सेवा में

भुगतान एवं लेखा अधिकारी,
गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली।

विषय : पश्चिम मिदनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल में वर्ष 2011 के दौरान हुई आतंकवादी, साम्प्रदायिक हिंसा एवं नक्सली घटना के पीड़ितों को सहायता संबंधी केन्द्रीय अनुदान योजना।

महोदय,

मुझे 'आतंकवादी एवं साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को सहायता संबधी केन्द्रीय योजना' के अंतर्गत तीन पीड़ितों में से प्रत्येक के लाभार्थी को 3,00,000 लाख रु. (तीन लाख रु. मात्र) की दर से अर्थात् कुल 9,00,000 लाख रु. (नौ लाख रुपए मात्र) की सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रपति की मंजूरी संसूचित करने का निदेश हुआ है। पीड़ितों की हत्या वर्ष 2011 के दौरान बांकुड़ा जिले (पश्चिम बंगाल) में हुए नक्सली हमले में की गई थी। पीड़ितों एवं उनके लाभार्थियों के नाम निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	पीड़ित/मारे गए व्यक्ति का नाम	लाभार्थी का नाम	राशि लाख (रु.) में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			3,00,000/-
2.			3,00,000/-
3.			3,00,000/-
कुल	**3**	**3**	**9,00,000/-**

2. उपगत व्यय को अनुदान सं. 55, गृह मंत्रालय का अन्य व्यय, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण; 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम; 200-अन्य कार्यक्रम; 12-आतंकवादी एवं साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना; 12.00.31-वर्ष 2012-13 के लिए सहायता अनुदान के नामे डाला जाएगा।

3. भुगतान एवं लेखा अधिकारी से अनुरोध है कि वह लाभार्थी के पक्ष में मंजूर की गई राशि का चैक तैयार करें और सावधि जमा खाता खोलने एवं न्यूनतम 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के लिए उस खाते में जमा करने हेतु इसे आगे संबंधित उपायुक्त को भेजे जाने के लिए इस मंत्रालय में भेजें तथा इस पर प्रोद्भुत ब्याज का तिमाही रूप से भुगतान किया जाएगा और लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा।

4. इसे दिनांक ..... के सी एफ सं. 109901/वित्त-IV के तहत आई एफ डी की सहमति से जारी किया जाता है।

भवदीय,

अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे सर्वप्रथम आवेदन पर लाभार्थी के हस्ताक्षर करा लें/अंगुलि छाप ले लें, यदि ऐसा अभी तक नहीं किया गया है, इसके बाद लाभार्थी अथवा पात्र आश्रितों के नाम से उनके निवास स्थान के नजदीक अधिमानतया, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाता (खाते) खुलवाएं ताकि चेक लाभार्थी के खाते में जमा कराया जा सके।

2. रोकड़-I अनुभाग, गृह मंत्रालय को (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित) लाभार्थी के नाम से चेक जारी करने तथा उक्त चेक को इस अनुभाग में अग्रेषित करने हेतु ताकि इसे लाभार्थी के सावधि खाते में जमा कराने के लिए आगे जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जा सके।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 'ए' विंग, तीसरा तल, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001 को ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जैसे-राष्ट्रीय आरोग्य निधि तथा राष्ट्रीय ट्रामा केयर परियोजना के अंतर्गत पीड़ित के परिवार के जीवित सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं आदि मुहैया कराने हेतु। वे पीड़ित व्यक्तियों के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहें।

4. सचिव, राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान, (एन एफ सी एच), गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-1110003 । वे उनके द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना "सहायता" (असिस्ट) के अंतर्गत पीड़ित के आश्रित बच्चों की शिक्षा हेतु यथा स्वीकार्य, सहायता प्रदान किए जाने संबंधी वांछनीयता पर विचार करें। वे पीड़ित के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहें।

5. रोकड़-II अनुभाग/बजट प्रभाग, गृह मंत्रालय, आई एफ डी (वित्त-IV), गृह मंत्रालय।

6. उप सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता-700001
7. रेजीडेंट कमिश्नर, पश्चिम बंगाल, ए-2, स्टेट एम्पोरियम बिल्डिंग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ।

8. प्रति, लाभार्थी के फोल्डर हेतु।

9. गार्ड फाइल।
10. उप मुख्य लेखा नियंत्रक, एम आई एस अनुभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक।

(अवर सचिव)

अनुलग्नक-IV

तारीख/ स्थान सहित घटना का संक्षिप्त ब्यौरा	घटना की श्रेणी (आतंकी/सांप्रदायिक/ नक्सली)	मारे गए/ 50% अथवा इससे अधिक की अशक्तता की स्थायी विकलांगता वाले पीड़ित व्यक्ति का (के) नाम	लाभार्थियों के नाम तथा उसका पीड़ित व्यक्ति से संबंध	केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सहायता की धनराशि	केन्द्रीय सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि

1. I certify amount claimed under the 'Central Scheme for Assistance to civilian Victims of Terrorist, Communal and Naxal violence is not claimed under any other scheme of the Government of India i.e. there shall not be duplication of the claim.

2. An undertaking that the victims/NOK or anyone in the family has not so far been given any permanent job in the Government on compassionate ground on account of death in the terrorist, communal and naxal violence.